08.03.2025

राज्य द्वारा एडीपीओ उप.

आरोपी/गण सहित/द्वारा श्री धीरज दशोरा अधि.उप.

राजीनामा पर आदेश हेतु नियत।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियुक्त/गण के विरूद्व धारा–294, 323, 506 भाग–दो भा.द.वि. के तहत आरोप विरचित किये गये है। धारा–294, 323, 506 भाग–दो भा.द.वि. शमनीय प्रकृति की है।

फरियादी/आहत शबनम की ओर से आपसी राजीनामा आवेदन–पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया, जो सारतः इस प्रकार है कि, उन्हें मिलने वालों ने आपस में समझाकर राजीनामा करवा दिया है, उनके मध्य भविष्य में मधुर संबंध बने रहें और ज्यादा कटुता न हो, इस कारण उनके मध्य न्यायालय के बाहर आपसी राजीनामा हो गया है। अतः आपसी राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया।

आरोपी/गण की पहचान श्री धीरज दशोरा अधि.के द्वारा एंव फरियादी/आहत की पहचान श्री हरिश साल्वी अधि. के द्वारा की गई। प्रकरण में फरियादी द्वारा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व करवायी गयी थी।

Order Sheet [Contd]

II-156
C. J.

Case No. ..... of 20 .....

Date of Order of Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

फरियादी राजीनामा करने हेतु सक्षम व्यक्ति है।

उभयपक्ष से तस्दीक पर उभयपक्ष ने आपसी राजीनामा आवेदन पत्र स्वेच्छयापूर्वक, बिना किसी डर–दबाव के प्रस्तुत किय जाना व्यक्त किया। प्रकरण में फरियादी की ओर से राजीनामा अनुमति आवेदन पत्र पेश किया गया है, जो सद्भाविक व न्यायोचित प्रतीत होने से राजीनामा अनुमति आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुमति प्रदान की जाती है।

उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत आपसी राजीनामा आवेदन पत्र शमनीय आरोपों के संबंध में स्वीकार किया जाना विधि विपरीत नहीं है। परिणामस्वरूप आपसी राजीनामा आवेदन पत्र शमनीय आरोपों के संबंध में स्वीकार किया जाकर अभियुक्त/गण को धारा–294, 323, 506 भाग–दो भा.द.वि.के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी/गण के जमानत–मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा मुददेमाल कुछ नही।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

लखन मालवीय
(सुलहकर्ता सदस्य)

सौरभ कुमार सिंह
पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ क0–25. एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी नारायणगढ,जिला
मंदसौर, म0प्र0